



# इलिनॉय कोर्ट-आधारित किराया सहायता कार्यक्रम

- क्या आप किराये का भुगतान न कर पाने के कारण बेदखली अदालत में हैं?
- क्या आपको बेघर होने का खतरा है?  
यदि आपका उत्तर “हाँ” है, तो आप किराये की सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं।

इलिनॉय न्यायालय-आधारित किराया सहायता कार्यक्रम (सीबीआरएपी) पात्र परिवारों को प्रदान किया जाता है।

- सहायता में पिछले देय किराए और दो महीने तक के भविष्य के किराए को कवर किया जाता है।
- यह कार्यक्रम किरायेदार और मकान मालिक के बीच एक संयुक्त आवेदन के रूप में स्थापित किया गया है।
- अनुदान पुरस्कार धन की उपलब्धता के अधीन हैं।


ऑनलाइन आवेदन करने के लिए [IllinoisHousingHelp.org](http://IllinoisHousingHelp.org) या नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके किरायेदारों और मकान मालिकों को मिलकर काम करना चाहिए।

यह जानने के लिए कि क्या आप निःशुल्क  
कानूनी सहायता के पात्र हैं:

लागू करने के लिए:



कॉल करें  
855-631-0811



टेक्स्ट “बेदखली”  
844-938-4280 पर



विजिट करें एविकटी  
[onHelpIllinois.org](http://onHelpIllinois.org)



[www.IllinoisHousingHelp.org](http://www.IllinoisHousingHelp.org)  
दूरभाष: 866-454-3571